

आदेश # इजलास राजन मिशाल आई.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
 प्रकरण संख्या 27/2017 (घात # निष्ठाविहीनता)

सेटोर लोक लोक इमेडिया लि (एन सी सेटोर इमेडिया लि) मता प्रदान कार्यालय सेटोर इजलास
 पोस्टल बॉक्स, सेटी कालोनी, जयपुर ।

प्राची वित्तीय संस्था

व्यक्त

1. श्री मधु लाल शर्मा पुत्र श्री राज लाल
2. श्रीमती विमला देवी शर्मा श्री मधु लाल शर्मा
3. श्री मृगया शर्मा पुत्र श्री मधु लाल शर्मा
 निवासी-द्वार नम्बर 84-डी, सुबे नगर, लोक टैक्स के मता, लोक रोड, सींगानेर, जयपुर
 राजस्थान।
4. श्री सुरेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री रंजित शर्मा
 निवासी-द्वार नम्बर 110, महावीर कॉलोनी, बडी का बाग, सींगानेर, जयपुर, राजस्थान।

अप्राचीनता

प्राची एवं गलत



The application under section 14 of The Securitisation and
 Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
 Security Interest Act, 2002.

श्री मधु लाल शर्मा अधिवक्ता प्राची वित्तीय संस्था की ओर से।


आदेश


दिनांक 27.05.2017

1. सूचक में प्रकरण के लक्ष्य मता प्रकर है कि प्राची वित्तीय संस्था ने अप्राची अर्थात् श्री मधु लाल शर्मा को दिनांक 25.05.2017 को पुनर्निर्माण हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्राची श्रीमती विमला देवी शर्मा श्री मधु लाल शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति द्वार नम्बर 84-डी, सुबे नगर, लोक टैक्स के मता, लोक रोड, सींगानेर, जयपुर क्षेत्र 83 रंजित को बचक रकम रु 25,000/- रुपये की शर्त सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्राची अर्थात् प्राची वित्तीय संस्था को शर्त भुगतान करने में अवसर होने पर अधिवक्ता की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्राची अर्थात् श्री मधु लाल शर्मा को दिनांक 25.05.2017 को प्रतिभूति कोटित जारी किया गया। कोटित जारी किए जाने के बावजूद शर्त शर्त मता भुगतान नहीं करने पर प्राची वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत शर्त शर्त मता भुगतान पर अपने मता बचक सम्पत्ति का वित्तिक रूप से प्रस्ताव मता करने हेतु आवश्यक प्रतिभूति उपलब्ध करने का अनुरोध किया है।
2. शर्त शर्त मता शर्त मता प्रकरण दर्ज किया गया। मता शर्त के अधीनता को सुनिश्चित मता जारी किया गया। अप्राची अर्थात् श्री मधु लाल शर्मा को शर्त उपलब्ध नहीं हुआ।

जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर

3. वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 9,26,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 13,59,987/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 26.03.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था को बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। धारा-14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
6. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री प्रभू लाल शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 516-डी, कृषि नगर, टोल टैक्स के पास, टोंक रोड़, साँगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 93 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधिक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्व कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
8. आदेश आज दिनांक 07.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।




 (राजन विशाल)
 जिला न्यायालय
 (कलक्टर) जयपुर